

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 476] No. 476] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2016/आषाढ़ 21, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2016/ASADHA 21, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 683(अ).—केंद्रीय सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 310 (अ) दिनांक 16.03.2016 के तहत केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 96 में उप-नियम (4) के पश्चात उप-नियम (4ए) सम्मिलित करते हुए संशोधन किया जाता है । उपर्युक्त अधिसूचना के हिंदी मूलपाठ में सभी शब्दों और संख्याओं "<" के लिए शब्द और संख्याओं को "≤" के रूप में पढ़ा जाए तथा उक्त उप-नियम के हिंदी मूलपाठ के परंतुक में "या संयुक्त ब्रेकिंग प्रणाली" शब्दों को हटाया जाए ।

[फा. सं. आरटी-11036/75/2014-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th July, 2016.

G.S.R. 683(E).—In exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government vide Gazette notification G.S.R. 310(E) dated 16.03.2016 amended rule 96 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 by inserting sub-rule (4A) after sub-rule (4). In the hindi version of the above notification, for all the words and numbers "<", the word and numbers may be read as "≤" and in the proviso of hindi version of the said sub-rule the words "or combined braking system" shall be deleted.

[F. No. RT-11036/75/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

3478 GI/2016